# सप्तदश बिहार विधान सभा

## पंचदश सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.07.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०<br>श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स०<br>श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० | ''बिहार राज्य के फारबिसगंज विधानसभा सहित अन्य विधान सभा क्षेत्र में कोशी प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्मित मुख्य शाखा नहर से निकलने वाली सभी माइनरों एवं छोटी केनालों (VC) की स्थिति काफी जर्जर हो गई है । सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को किसानों को खेती में सहायता हेतु नहर का पानी सभी खेतों तक पहुँचाने के उद्देश्य से चलाया गया था परंतु यह माइनर एवं छोटी केनाल विभाग द्वारा देखभाल के अभाव में जर्जर एवं जमींदोज होने के कारण असफल होता जा रहा है । फारबिसगंज के झिरूआ पछियारी पंचायत के पूर्णियां शाखा नहर के बसगडा माइनर से निकलने वाली छोटी नहर केनाल 50RD एवं 53RD दोनों केनाल में बोल्डर एवं मिट्टी जमाव के कारण मुख्य शाखा नहर से जल निकासी बंद हो गया है एवं मिर्जापुर माइनर जो महिचंदा तक जाती है, में गाद भरने से जल प्रवाह बंद है।<br>अत: फारबिसगंज विधानसभा सहित राज्य के अन्य विधानसभा क्षेत्र में कोशी प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्मित सभी माइनर एवं छोटी केनाल का जीर्णोद्धार कर किसानों को सहायता पहुँचाने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।'' | जल संसाधन |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स० | "बिहार के सीमांचल क्षेत्र के शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़े अररिया, कटिहार, पूर्णियां और किशनगंज जिले की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.40 करोड़ है, इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में केवल दो राजकीय बी0एड0 कॉलेज हैं ।<br>इस जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से संबंधित है । शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक इस वर्ग के युवक-युवतियों विशेषकर बालिकाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर संस्थान की अनुपलब्धता के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।<br>रानीगंज (जिला अररिया) इस क्षेत्र का एक प्रमुख शैक्षणिक और सामाजिक केन्द्र है, जहाँ राजकीय बी0एड0 कॉलेज की स्थापना की जानी अत्यंत उपयुक्त होगी । इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा, वंचित एवं पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाया जा सकेगा और क्षेत्रीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा ।<br>अतः सीमांचल क्षेत्र के युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण का समुचित अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु रानीगंज (जिला अररिया) में शीघ्रातिशीघ्र राजकीय बी0एड0 कॉलेज की स्थापना करने के लिए मैं सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।" | शिक्षा |

**ख्याति सिंह**
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-19/25- 585 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 जुलाई, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र 21.7.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-19/25- 585 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 जुलाई, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र 21.7.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-19/25- 585 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 जुलाई, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र 21.7.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-19/25- 585 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 जुलाई, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र 21.7.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।